राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4/1) विभाग

क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–4/2011/पार्ट जयपुर

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण
समस्त विभागाध्यक्ष।

–:दिशा–निर्देशः–

विषयः– विभिन्न प्रशासनिक विभागों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों के सृजन/विलोपन के संबंध में।

यह प्रकरण ध्यान में आया है कि कतिपय प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित विभाग में स्वीकृत राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों को स्वयं के स्तर पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर, बिना कार्मिक विभाग की सहमति से विलोपित कर अन्य राज्य सेवा अथवा विभागीय पदों पर परिवर्तित कर दिया गया है।

विभिन्न विभागों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदस्थापित अधिकारियों का कैडर नियंत्रण का कार्य कार्मिक विभाग करता है। यदि किसी भी प्रशासनिक विभाग में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पदों का सृजन/विलोपन किया जाता है तो कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति/सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 6 के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कैडर स्ट्रेन्थ के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

- समस्त प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभाग में राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों के सृजन/विलोपन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

उक्त दिशा–निर्देश की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

कमरा नम्बर 1237, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
फोन नम्बर 0141–2227347
Website- www.dop.rajasthan.gov.in
E-mail – itcell.dop@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
6612750

Document certified by HEMANT KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.
Digitally Signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date :03-05-2024 07:24:18